

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(87)एम.ई./ग्रुप-1/12

जयपुर, दिनांक : 06.08.2013

— :: आदेश :: —

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.08.2013 द्वारा जारी आदेश में कॉलम संख्या 3 एवं 4 में अंकित 'मेडिसिन' के स्थान 'माइक्रोबायोलोजी' संशोधित कर पढ़ा जावे।

आज्ञा से,



(हरि बाबू शर्मा)  
शासन उप सचिव (समन्वय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
7. सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षकों को उनके प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के माध्यम से।
8. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव (समन्वय)